सं. 8/12/2006-बीपी एंड एल

भारत सरकार

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

*****

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई, 2006

आदेश

भारत सरकार एतद्द्वारा यह निर्णय करती है कि डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सेवाओं हेतु दिशानिर्देशों में निम्न को जोड़ा जाएगा :

1. **"लाइसेंस जारी करने तथा आवेदन हेतु प्रक्रिया"** शीर्षक के तहत पैरा (v) में जारी दूसरे बिन्दु को एतद्द्वारा संशोधित किया जाता है तथा इसके स्थान पर नामत: निम्नलिखित को जोड़ा जाता है :

"आवेदन पत्र में प्रदान की गई सूचना के आधार पर, यदि आवेदक भारत के डीटीएच प्लेटफार्म की स्थापना करने के लिए पात्र पाया जाता है तो आवेदन गृह मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद निदेशक बोर्ड तथा कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों जैसे सीईओ इत्यादि की सुरक्षा मंजूरी के अधीन तथा अंतरिक्षण विभ्ज्ञाग से उपग्रहों के उपयोग की मंजूरी के अधीन होगा"।

2. डीटीएच सेवाओं हेतु "लाइसेंस समझौते की सारणी" के अनुच्छेद 3 (लाइसेंस शुल्क) में निम्नलिखित को नामत: खण्ड 3.1.1, 3.1.2 तथा 3.1.3 के रूप में जोड़ा जाएगा :

"3.1.1 इस उद्देश्यार्थ सकल राजस्व नकदी का सकल आगमन होगा, चाहे यह प्राप्य हो या डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) उपक्रम की सेवाएं प्रदान करके सामान्य कार्यकलापों से प्राप्त हो तथा उपक्रम के अन्य संसाधनों जैसे किराया प्राप्ति, ब्याज, लाभांश, रॉयल्टी, कमीशनों इत्यादि से प्राप्त हो। इस प्रकार से सकल राजस्व की गणना बिलों की दरों के आधार पर एवं विज्ञापनदाताओं की कुल छूट के अनुसार होगी जिसमें से करों एवं एजेंसी के कमीशन को कम नहीं किया जाएगा। प्रासंगिक बिलों की दरों के आधार पर सकल

राजस्व में बारटर विज्ञापन अनुबंधों को भी शामिल किया जाएगा। यदि लाइसेंसधारी उन अन्य कंपनियों से माल या सेवाएं प्राप्त कर रहा है या प्रदान कर रहा है जिनका स्वामित्व या नियंत्रण लाइसेंसधारी के मालिकों द्वारा किया जाता है, तो ऐसी सभी लेन-देन की कीमत सामान्य वाणिज्यिक दरों पर आंकी जाएगी तथा लाइसेंसधारी के सकल राजस्व की गणना करते समय लाभ या हानि खातों में इन्हें शामिल किया जाएगा।"

3.1.2 प्रत्येक लाइसेंसधारी चैनल हेतु अलग से वित्तीय खाते खोलेगा जिनकी लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की जाएगी। प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर, कंपनी फार्म-डी में दिए गए फार्मेट के अनुसार लाइसेंसधारी के अंतिम खातों के सकल राजस्व वाले भाग का विवरण प्रदान करेगी जो सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा यथा प्रमाणित होगा। यह नोट किया जाना चाहिए कि फार्म-डी में विनिर्दिष्ट आय शीर्ष केवल सांकेतिक तथा उदाहरण के लिए है तथा लेखा परीक्षक सकल राजस्व के लिए शामिल किए जाने वाले सभी प्रासंगिक शीर्षों को शामिल करेगा चाहे उन्हें कथित फार्मेट में विशिष्ट तौर पर शामिल किया गया हो या न किया गया हो। इसके अतिरिक्त, संबंधित पार्टियों से प्राप्त आय का मिलान लेखांकन मानक 18 के अनुसार संबंधित पार्टियों की सारणी से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कंपनी प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा यथा प्रमाणित निम्नलिखित सूचनाओं को प्रकट करेगी :

i) कुल व्यापार एवं अन्य छूट।
ii) कुल एजेंसी कमीशन।
iii) संबंधित पार्टियों का कुल लेन-देन।

3.1.3 इसलिए इस बात को सत्यापित करने के लिए कि सकल राजस्व को सही ढंग से प्रकट किया गया है, भारत सरकार को किसी भी लाइसेंसधारी के खातों की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या अपनी इच्छा से किन्हीं अन्य व्यावसायिक लेखा-परीक्षकों से लेखा परीक्षा करवाने का अधिकार होगा। यदि सांविधिक लेखा-परीक्षकों तथा सरकार द्वारा नियुक्त लेखा-परीक्षकों द्वारा निर्धारित सकल राजस्व में अंतर आता है तो सरकार द्वारा नियुक्त लेखा-परीक्षकों के मत मान्य होंगे, परंतु यह लाइसेंसधारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के अध्यधीन होगा तथा ऐसी लेखा-परीक्षा पर हुआ खर्च लाइसेंसधारी द्वारा वहन किया जाएगा।"

3. मौजूदा लाइसेंसधारियों को उपरोक्त पैरा- '1' में बताए गए अनुसार सुरक्षा मंजूरी भी प्राप्त करनी होगी तथा पैरा-'2' के प्रावधानों की अनुपालना भी करनी होगी।

(एन. बैजेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रति अग्रेषित :-

1. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय।
2. सचिव, दूरसंचार विभाग।
3. सचिव, गृह मंत्रालय।
4. सचिव, वित्त मंत्रालय।
5. सचिव, राजस्व विभाग।
6. सचिव, अंतरिक्ष विभाग।
7. सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती।
9. सचिव, ट्राई।
10. मैसर्स, एएससी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, जे-27, साऊथ एक्सटेंशन फेज-I, नई दिल्ली-29.
11. मैसर्स टाटा स्काई प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा तल, बाम्बे डाइंग ए.ओ. बिल्डिंग, पाण्डुरंग बुधकर मार्ग, वरली, मुम्बई-400025.
12. अध्यक्ष, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ए-2/14, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली-110029.

फार्म-डी

मैसर्स ..... के अंतिम लेखाओं का भाग बनाने के लिए सकल राजस्व का विवरण।

क्र.सं.	आय शीर्ष	टैरिफ रेट/ रेट कार्ड	छूट		एजेंसी का कमीशन	कर	पी और एल लेखाओं के अनुसार निवल
			ट्रेड	अन्य			
							(राशि रूपए लाख में)
1.	विज्ञापन						
2.	प्रोत्साहन कार्यकलाप						
2.1.	संगीत/स्टार कार्यकलाप						
2.2.	प्रायोजित कार्यक्रम						
3.	विपणन अधिकार						
4.	कमीशन						
5.	रॉयल्टी						
6.	एंटीना, उपाय पद्धति इत्यादि का विक्रय						
7.	किराया-परिसर						
8.	किराया-उपस्कर						
9.	ब्याज/लाभांश						
10.	संबंधित पक्षकार लेनदेन						
10.1	विक्रय किया गया माल						

10.2	प्रदान की गई सेवाएं						
10.3	प्रॉडक्शन						
10.4	विपणन						
10.5	अन्य						

नोट : 1. आय शीर्ष केवल संकेत और उद्धरण हैं और लेखा परीक्षक लाइसेंसधारी के सभी प्रासंगिक शीर्षों को शामिल करेंगे।

2. लेखा व्यवस्था मानक संख्या 18 के अनुसार संबंधित पक्षकारों से आय का अन्य संबंधित पक्षकारों के साथ मिलान किया जाएगा।

सं. 18/12/2006-बीपी एंड एल

भारत सरकार

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

*****

नई दिल्ली, दिनांक 8 अगस्त, 2006

सेवा में,

1. श्री कलानिधि मारन,
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक,
सन डायरेक्ट टीवी प्रा0 लि0,
367/369, अन्ना सलाई, टेनापेट,
चेन्नई-600018

2. मैसर्स एएससी एंटरप्राइजेज लिमिटेड,
जे-27, साऊथ एक्सटेंशन, पार्ट-1,
नई दिल्ली-110049

3. मैसर्स टाटा स्काई लिमिटेड,
बंसीवाला मिल कम्पाउण्ड,
आफ डा0 ई. मोजेज रोड,
महालक्ष्मी, मुम्बई-400011

4. श्री अरविंद कुमार नारंग,
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता,
मैसर्स रिलायंस ब्लू मैजिक प्राइवेट लिमिटेड,
तीसरा तल, रिलायंस एनर्जी सेंटर,
सांता क्रूज (ई), मुम्बई-400055

विषय : अतिरिक्त सूचना प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

मुझे डीटीएच सेवा दिशानिर्देशों को संशोधित करने से संबंधित दिनांक 31;7;2006 के आदेश की प्रति संलग्न करने और आपसे यह अनुरोध करने का निदेश दिया गया है कि कृपया इस मंत्रालय को आगामी आवश्यक कार्रवाई के लिए सीईओ इत्यादि जैसे मुख्य कार्यकारियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए।

भवदीय,

(जी. चटर्जी)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नं. 23389202